मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे।

'मैं राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ'

कारगिल विजय दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया

- **मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।**
- **इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, कई प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी मौजूद थे।**

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर आयोजित कारगिल विजय दिवस के रजत जयन्ती समारोह में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज़ सैनिकों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा पर मुस्तैदी के साथ मोर्चा सम्भालने वाले हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं। शर्मा ने कहा कि कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए समर्पण की भावना दिखाते हुए सर्वोच्च त्याग की मिसाल पेश की।

समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में साहस का परिचय देने वाले वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबएरिया मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

राज्य सरकार प्रदेश में एम.एस.पी. पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी

विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया

- **विधानसभा के प्रश्नकाल में बाजरे की खरीद पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय में किसानों को 1400 से 1500 रूपए प्रति क्विंटल पर बाजरा बेचना पड़ रहा था, जबकि, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व मध्य प्रदेश में बाजरा 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार किसानों को लाभान्वित करने की पूरी कोशिश करेगी।**

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बाजरे की खरीद पर पूछे गए प्रश्न पर स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के साथ धोखा हुआ और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की फसल की खरीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय में बाजरे के किसानों को 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों का बाजरा 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद बाजरे की पहली फसल आएगी। हम किसानों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बाजरे के उत्पादन और खरीद के सम्बन्ध में सदस्य डॉ. ऋतु बनावत द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीअन्न को देश-विदेश में बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भी श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए तत्पर है। हमारी सरकार के समय में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए देने, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने एवं कृषि कनेक्शन जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लम्बे समय से प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं की गई है, लेकिन हमारी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

राहुल गांधी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रसंगवश बता दें कि प्रियंका गांधी का लोदी ऐस्टेट स्थित बँगला भी उस समय खाली पर दिया गया था, जब सरकार ने गांधी परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से दी गई एस.पी.जी. सुरक्षा हटा दी गई थी तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सी.आर.पी.एफ. को दे दी गई थी। उस समय से वे प्राइवेट आवास में रह रही हैं। लेकिन जब वे केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, जो राहुल गांधी ने खाली कर दी है तथा अगर वे जीत जाती हैं, जिसकी काफी संभावना है तो उन्हें भी एक सरकारी बँगला आवंटित हो जायेगा।

सुरक्षा कारणों से बनाई गई गाइडलाइनों के अनुसार, बँगला दो तरफ से खुला होना चाहिये तथा दोनों तरफ दो-दो दरवाजे होने चाहिये। इस प्रकार आने वाले दिनों में गांधी परिवार के तीनों व्यक्ति अपने-अपने घरों में पहुँच जायेंगे।

रोज 14 घंटे काम करने का प्रस्ताव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आसान बना देगी। यह संशोधन कम्पनियों को यह अनुमति दे देगा कि वे मौजूदा तीन शिफ्ट वाली व्यवस्था के स्थान पर दो शिफ्ट वाली व्यवस्था ला सकें तथा एक-तिहाई श्रमिकों से उनकी नौकरी छीन ली जायेगी।"

प्रस्तावित "कर्नाटक शॉप्स एंड कॉमर्शियल ऐस्टाब्लिशमेन्ट्स (अमेन्डमेन्ट) बिल 2024" वर्तमान अधिनियम, जिसमें ओवरटाइम सहित एक दिन में अधिकतम 10 घंटे काम लेने की अनुमति दी गई है, के स्थान पर प्रतिदिन 14 घंटे काम करना अनिवार्य कर देगा।

एक दिन में 14 घंटे तक आई.टी. कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में वृद्धि करने पर एन.ए.एस.सी. सी.ओ.एम. (नासकोम) ने अपनी रोचक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे सरकार के इस कदम का समर्थन नहीं करते हैं।

नैसकॉम के उपाध्यक्ष व लोक नीति के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि "नासकोम के बतौर हमने एक दिन में 14 काम के घंटों के लिए अनुरोध नहीं किया है या एक सप्ताह में 70 घंटे काम का भी नहीं किया। हमने कर्नाटक में इस विधेयक की प्रति नहीं देखी है इसिलए इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

हम पूर्ण रूप से एक सप्ताह में 48 घंटे काम का समर्थन करते हैं जो कि पूरे देश में एक मानक हैं।

उन्होंने एक बयान में आगे कहा कि "हमने राज्यों व केन्द्र सरकार से जो कहा था, वह यह है कि 48 घंटों की कार्यसीमा को कुछ लचीला बनाने पर विचार किया जाए। ऐसा करने से कंपनियों को अखिल भारतीय स्तर पर अपना मानक कार्य संचालन करने में मदद मिलेगी। कर्नाटक में कुछ माह पूर्व हमने इस तरह का विचार-विमर्श आई.टी. विभाग के साथ किया था। हालांकि, हमारी इस विषय पर श्रम विभाग के साथ कोई बैठक नहीं हुई थी।"

कर्नाटक के चैम्बर ऑफ कामर्स व उद्योग ने भी कहा कि आई.टी. सेक्टर में लगभग आधे कर्मचारीगण पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य के मामलों, जैसे कि अवसाद के रोग व शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से जूझ रहे हैं।

के.सी.सी.आई. ने कहा कि काम के घंटों में बढ़ोतरी करने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी, उन्होंने डब्ल्यू.एच.ओ. आई.एल.ओ. के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि काम के घंटों में वृद्धि करने के कारण, अनुमान अनुसार, स्ट्रोक से मृत्यु होने का खतरा 35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तथा हृदय रोग से मृत्यु का खतरा 17 प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाएगा।

गलता पीठ प्रकरण में यथास्थिति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एकलपीठ ने संपत्ति के खुर्द-बुर्द होने के आरोप की सुनवाई करते हुए मठ के महंत की नियुक्ति करने की व्यवस्था पर ही फैसला दे दिया है, जबकि एकलपीठ ने अपने फैसले में भी माना है कि रामोदराचार्य की मृत्यु के बाद उनका महंत पद समाप्त हो गया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक मई 1943 को जयपुर स्टेट के हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को मूर्ति के स्वामित्व में नहीं मानकर महंत के स्वामित्व में माना था।

इसका विरोध करते हुए हिंदू विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने कहा कि जयपुर स्टेट के तत्कालीन हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को गलता पीठ का माना था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी के पिता को मेरिट के आधार पर तत्कालीन जयपुर स्टेट ने नियुक्त किया था और अपीलार्थी की महंत के रूप में नियुक्ति कभी हुई ही नहीं थी। माथुर ने अदालत को कहा कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकार के आधार पर स्वयं को महंत घोषित कर दिया, इसके अलावा अपीलार्थी ने गलता पीठ की कई संपत्तियों को खुर्द-बुर्द भी किया है।

करीब दो घंटे से ज्यादा सुनवाई होने के बाद करीब 4.30 बजे अदालत के उठने का समय आ गया था, तब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें सूचना मिली है कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर अवधेशाचार्य के घर का ताला तोड़ रहे हैं और मठ के आसपास की दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को इस अपील की पूर्ण सुनवाई करनी होगी तथा तब तक यथा स्थिति बनाई रखी जाये। जिस पर अदालत ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये और मामले में सरकार की तरफ से इतनी त्वरित कार्यवाही करने पर भी नाराजगी जताई।

स्वामी अवधेशाचार्य के वकीलों ने बताया कि अदालत का फैसला आने तक स्वामी अवधेशाचार्य व उनका परिवार ही पीठ में पूजा अर्चना जारी रखेगा।

कर्नाटक में जोर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संकल्प तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया था वैसा संकल्प कर्नाटक राज्य ने तैयार करके रखा है और इस पर मंत्रिमण्डल की मुहर लग चुकी है। एक बार जब कर्नाटक विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देगी उसके बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चूंकि नीट दो मुद्दों में से थोड़ा हल्का था इसलिए बैंगलुरू पुलिस ने कई करोड़ रूपयों के वाल्मीकि फंड ट्रांसफर केस की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है।

यह एफ.आई.आर. समाज कल्याण विभाग अतिरिक्त निदेशक कालेश बी.के. द्वारा औपचारिक रूप से यह शिकायत करने के बाद दाखिल की गई थी कि जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री व अन्य लोगों को इस कांड में फंसाने के लिए उन पर दबाव डाला था।

शांति धारीवाल ने विधानसभा में अपशब्द कहे

सभापति संदीप शर्मा के टोकने पर धारीवाल बोले "कोटा में रहना है कि नहीं"

- **पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जब धारीवाल के शब्दों पर आपत्ति जताई तो धारीवाल ने कहा, "कृपलानी जी! आप तो मेरे मित्र हो, एक बार गलती से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूं, अपना ज्ञान बढ़ाओ।"**
- **स्पीकर देवनानी ने सारे प्रकरण पर कहा कि, "पूर्व मंत्री के मुंह से गाली जैसे शब्द निकलना निंदनीय है। मैं पूरा वीडियो देखकर सोमवार को निर्णय दूंगा।"**

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 26 जुलाई। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल ने अपशब्द बोले। यह मामला देर रात तक सदन में गर्माया। खुद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि "यह निंदनीय और शर्मनाक बात है कि पूर्व मंत्री के मुंह से मां-बहन की गाली जैसे शब्द निकले। मैं इस पर पूरा वीडियो देखकर सोमवार को अपना निर्णय दूंगा।"

दरअसल धारीवाल ने चर्चा के दौरान, पहली बार कांग्रेस राज के दौरान गड़बड़ियों पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बार उन्होंने फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में तथा तीसरी बार सभापति संदीप शर्मा के टोकने पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया।

जब सभापति संदीप शर्मा ने शांति धारीवाल को अपनी बात खत्म करने को कहा तो धारीवाल ने अपशब्द के साथ सभापति को यहां तक कह दिया, "तुम तो कोटा के हो, कोटा में रहना है कि नहीं रहना है।" दरअसल संदीप शर्मा कोटा दक्षिण से विधायक हैं और धारीवाल कोटा उत्तर से विधायक हैं।

जब भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने धारीवाल के अपशब्द पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा, "कृपलानी जी! आप तो मेरे मित्र हो, एक बार गलती से मंत्री बन गए थे, आप जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे। अब मैं जो बोल रहा हूं, अपना ज्ञान बढ़ाओ।"

इससे पहले जब मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पिछली कांग्रेस सरकार पर फर्जी पट्टे देने का आरोप लगाया तो धारीवाल ने कहा, "नगर निकायों में इस तरह का स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से पट्टे बांटना बंद थोड़े ही कर देंगे। शिकायत आती है तो जांच होती है, जांच कराते हैं। आप भी जांच करवाइए, सस्पेंड कीजिए, बर्खास्त कीजिए। धारीवाल ने दावा कि पिछली सरकार में उन्होंने 13 लाख पट्टे बांटे, लेकिन सिर्फ 254 पट्टों में ही गड़बड़ियां मिली है।"

इससे पहले धारीवाल ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "पिछले 7 माह से नगरीय निकायों में काम बंद पड़ा है। आपके कामों पर क्या कमियां निकालूं, पिछले 7 माह में कुछ किया ही नहीं। उन्होंने यह चुटकी इसलिए ली, क्योंकि मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में कहा था कि, पिछली कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों में कई गड़बड़ियां की थी, लेकिन इस सरकार पर कोई एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा सकता। गर्ग की इस बात पर चुटकी लेते हुए धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के 7 माह बाद भी नगरीय विकास विभाग में काम ठप्प पड़ा है, मंत्रीजी सभी निकायों व विकास प्राधिकरणों की शक्तियां छीनकर खुद के नियंत्रण में लेने में लगे हुए है।" कब्जे में करने में लगे हैं।"

भारतवासी 58 देशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जाता है। इसके विपरीत 2024 में, भारत 82वें स्थान पर है और 58 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा करवा रहा है, जिसमें इण्डोनेशिया, माल्दीव्ज़ और थाइलैण्ड जैसे लोकप्रिय पर्यटक देश शामिल हैं। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वह वर्ष 2023 में 84वें और वर्ष 2022 में 83वें स्थान पर था।

भारत के नागरिक अब अंगोला, बारबडोस, भूटान, बोलीविया, ब्रिटिश, वर्जिन आइलैंड्स, बुरूण्डी, कम्बोडिया, केप वर्डे आइलैण्ड्स, कमारा आइलैण्ड्स, कुक आइलैण्ड्स, ज़िबूती, डोमीनिका, इथोपिया, फिजी, ग्रेनडा, गुयाना, बिसाऊ, हैती, इन्डोनेशिया, ईरान, जमैका, जॉर्डन, कज़ाखस्तान, केन्या, किरीबाती, लाओस, मकाओ (एस.ए.आर. चीन), मैडागास्कर, मलेशिया, माल्दीव्ज़, मार्शल आइलैण्ड्स, मॉरीतानिया, मॉरीशस, माइक्रोनेशिया, मांटसरा, मोज़ाम्बीक, म्यांमार, नेपाल, नू, पलाउ आइलैण्ड्स, कतर, रवांडा, समोआ, सेनेगल, सैशल्स, सिएरा लिओन, सोमालिया, श्रीलंका, सैंट किट्स एवं नेविस, सैन्ट लूसिया, सैंट विन्सैन्ट एवं ग्रेनेडाइन्स, तंज़ानिया, थाइलैण्ड, तिमोर लैस्त, ट्रिनीडाड एवं टोबेगो, ट्यूनिशिया, तुवालू, वनुआतु और जिम्बाब्वे की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान के कमजोर पासपोर्ट की रैंक यमन के बराबर है और वह पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इराक (101), सीरिया (102) और अफगानिस्तान (103) से आगे है।

मोची की गुमटी में बैठ चप्पल की सिलाई की राहुल गांधी ने

- **सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी से वापस लौटते हुये एक बार फिर अपने चर्चित अंदाज़ में दिखे राहुल गांधी।**

सुलतानपुर, 26 जुलाई (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुलतानपुर न्यायालय में पेशी से वापस होते समय एक मोची की दुकान पर रुके और अपने चर्चित अंदाज में जूते और चप्पलों में टांके लगाए और उसका कुशलक्षेम पूछा। मोची ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नेता विपक्ष का स्वागत किया।

गांधी आज सुलतानपुर में मानहानि के एक मामले में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे हुए थे। कोर्ट की कार्यवाही पूरी करने के बाद राहुल पुनः पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। पहले अयोध्या प्रयागराज हाइवे पर कूरेभार थानाक्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास अचानक से उनका काफिला रुका और वे गाड़ी से उतरकर रामचेत मोची की गुमटी वाली दुकान पर पहुंच गए और गुमटी पर रामचेत के बगल बैठकर हालचाल लिया। उसके रोजगार और घर परिवार की बात की। उन्होने मोची से पूछा कि गरीबों को सबसे ज्यादा किन चीजों की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने जूते और चप्पलों की मरम्मत कैसे की जाती है, ये भी रामचेत से जाना और खुद सिलाई की।अपने बीच राहुल गांधी को देखकर राम चेत भाव विभोर हो गया। पहले तो वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि राहुल गांधी उसकी गुमटी पर बैठकर उसकी तरह चप्पल सिल रहे हैं।

प्रियंका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जवाब दें, इसे रोकने की पहल करें।

इज़राइल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद प्रियंका ने इज़राइल सरकार को बर्बर करार दिया। प्रियंका का यह कठोर वक्तव्य अवश्य ही मोदी सरकार का ध्यान खींचेगा जो इज़राइल के हमले पर मौन साधे है। मोदी सरकार की इज़राइल समर्थक नीति से पश्चिम एशियाई देश भली-भांति वाकिफ हैं।

प्रियंका ने कहा कि नेतन्याहू को अमेरिकी संसद को संबोधित करते देखना बेहद शर्मनाक है।

'एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने सांगानेर पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आई.ओ.सी.एल. परिसर के बाहर गैस के टैंकर व सिलेंडर भरे वाहनों की अवैध तौर पर पार्किंग नहीं होने दें।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि साल 2009 में आई.ओ.सी.एल. के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। डिपो की आग एक हफ्ते धधकती रही और प्रशासन देखता रहा, लेकिन इस हादसे के बाद भी कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए गए। जबकि, राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आई.ओ.सी.एल. के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1996 में यहां पर आबादी नहीं थी और इसलिए ही जयपुर से 30 किमी दूर इस जगह पर बॉटलिंग प्लांट बना। इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइप लाइन से एल.पी.जी. उच्च दबाव पर सप्लाई होती है। इसके ऊपर ही महात्मा गांधी अस्पताल, पूर्णिमा कॉलेज, राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल सहित अनेक शैक्षिणक संस्थान बन गए हैं। प्लांट की बाउंड्री के पास ही कई मल्टीस्टोरी भवन व फ्लैट्स भी बन गए हैं और एच.पी. का एक पेट्रोल पंप भी चल रहा है। इसलिए बॉटलिंग प्लांट को शहर से बाहर भेजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार पर लगे "स्टे" की अवधि

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उस पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि "हमने हमारे 22 जुलाई के आदेश में वही कहा है, जिस बात को कहने की आवश्यकता थी। किसी को भी नाम बताने के लिए बाध्य नही कर सकते हैं।"

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की ओर सरकार के निर्देशों का यह कहते हुए बचाव किया कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ढाबा मालिकों के द्वारा उनके नाम बाहर प्रदर्शित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके पीछे पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है ताकि "सम्भावित भ्रम की स्थिति" को टाला जा सके और शान्तिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित की जा सके।

रोहतगी ने इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार अथवा मंगलवार को करने का अनुरोध यह कहते हुए किया कि "मैं (उत्तर प्रदेश सरकार) एकतरफा अन्तरिम स्टे आदेश से पीड़ित हूँ और यदि मामले में देरी की गई तो यह मामला निरर्थक हो जाएगा।

उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि राज्य सरकार तो सामान्य रूप से उस कानून को लागू कर रही थी जो कानून संसद ने बनाया था तथा जिसके तहत जरूरी है कि दुकानदार अपना नाम दुकान के बोर्ड पर लिखे और याचिकाकर्ता ने पहले से बने हुए इस कानून के बारे में कोर्ट को सूचित नहीं किया।

इस तर्क पर बैंच ने कहा कि "ऐसा है तो फिर इसे सब जगह पर लागू किया जाना चाहिए, न कि कुछ राज्यों में ही। यह बताते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करें कि इसे सब जगह पर लागू किया जाएगा।"

इसके बाद, बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी ताकि उत्तराखण्ड व मध्य प्रदेश सरकारें भी उनका जवाब दाखिल कर सकें। कोर्ट ने भक्तों/कांवड़ यात्रियों की ओर दाखिल की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (पी.आई.एल.) के जवाब में दाखिल शपथपत्र में कहा कि "इस बात पर गौर किया जाए कि इन निर्देशों को जारी करने का विचार यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी उपभोक्ता अर्थात कांवड़िया जो भी खाना खाना चाहता है, उसे उस खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे, यह निर्णय यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे गलती से भी अपने विश्वासों से गलत न हो जाएं।"

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टी.एम.सी. सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफे. अपूर्वानन्द झा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों की वैधता को चुनौती दी थी, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी ने रोहतगी के तर्कों का विरोध किया।

सिंघवी ने अपने तर्क में बैंच से कहा कि अस्थायी प्रकृति के निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि इनसे भोजन विक्रेताओं के प्रति किसी प्रकार का स्थायी भेदभाव नहीं होगा और न ही इससे उनके लिए कोई मुश्किल स्थिति उत्पन्न होंगी इसके साथ ही साथ कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं भी सुरक्षित रहेगी तथा उनके धार्मिक विश्वास व श्रद्धा भी बनी रहेगी।" "इसलिए वे कह रहे है कि इसमें भेदभाव दिखता है परंतु यह स्थायी आदेश नहीं है।"

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर स्टे लगाते समय 22 जुलाई को उसके स्टे आदेश में कहा गया था कि, "हमने उपरोक्त निर्देशों को लागू करने पर रोक का अन्तरिम आदेश उचित समझ कर पारित किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो खाद्य पदार्थ विक्रेताओं, थड़ी ठेले वालों इत्यादि के लिए यह आवश्यक है वे कांवड़ियों को परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार को अपनी दुकान पर प्रदर्शित करें परंतु उन्हें दुकान मालिक का नाम और कार्यरत कर्मचारियों का नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं तथा पहचान करके उनको अलग-थलग करने का उद्देश्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, यह निर्णय कानून व व्यवस्था के हित में है। यूपी सरकार ने 19 जुलाई को यह आदेश जारी किया है और कांवड़ यात्रा के मार्ग में स्थित सभी भोजन व पेय पदार्थ विक्रेताओं को इसका पालन करना है और इनको संचालित करने वाले संस्थानों के मालिक अपनी दुकान व संस्थान के बाहर पहचान के लिए अपना नाम प्रदर्शित करेंगे।

हालांकि, विपक्षी राजनीतिक दलों एवं मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की कटु आलोचना की है तथा इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया है।

मध्य प्रदेश में भी भाजपा शासित उज्जैन महानगर पालिका ने ऐसा ही एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें शहर में दुकानों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकानों व संस्थानों के बाहर अपना नाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करें। उज्जैन महानगर पालिका के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपए का जुर्माना व दूसरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलनता करते पाए जाने पर 5000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।

बैंच ने आज उज्जैन महानगर पालिका से अपना पक्ष रखने को कहा।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908